

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक- 757 / 1सी0 (वन)

दिनांक 13/6 / 2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:- प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/12845/2015 कर्णप्रयाग-नैनीसैण के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के पत्रांक सं0 3285/ FP/UK/ROAD/12845/2015 दिनांक 03.4.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र के क्रम में प्रस्ताव पर लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या प्रेषित की जा रही है।

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक 200 मी० पर Latitude & Longitude अंकित किया जाय।	भारत सरकार के निर्देशानुसार वांछित GIS Software द्वारा निर्मित Geo referenced digital map पर प्रत्येक 200 मी० पर Latitude & Longitude दर्शा कर Part I के बिन्दु सं० C (iv) में ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। संलग्न 1- जीयोरेफरेन्स मैप (मूल कापी का पेज नं० 17)
2	डिजिटल मानचित्र में वैकल्पिक समरेखण Latitude & Longitude अंकित किया जाय।	डिजिटल मानचित्र में वैकल्पिक समरेखण Latitude & Longitude अंकित Part I के बिन्दु सं० D (a) में अपलोड कर दिया गया है। संलग्न 2- डिजिटल मानचित्र (मूल कापी का पेज नं० 16)
3	मार्ग जहाँ से आरम्भ हो रहा है उससे पूर्व निर्मित मार्ग का नाम दर्शाया जाय एवं भारत सरकार की स्वीकृति संलग्न करें।	मार्ग कर्णप्रयाग-नैनीसैण मोटर मार्ग के कि०मी० 25 से प्रारम्भ हो रहा है, जिसे मानचित्र में बैंगनी रंग से दर्शाया गया है। संलग्न 3- स्वीकृति का पत्र (मूल कापी का पेज नं० 10-11)
4	लो०नि०वि०गौचर के पत्रांक 207/1सी० वन दि० 01.3.2017 के द्वारा प्रस्ताव की मूल प्रति खुले प्रपत्रों में प्रेषित की गयी है। प्रस्ताव को बाईडिंग कराकर प्रेषित किया जाय।	प्रस्ताव की मूल कॉपी बाईडिंग कर प्रेषित कर दी गयी है। संलग्न- हार्डकापी
5	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्रों की विषय सूची संलग्न करें एवं प्रपत्रों को क्रमवार लगाकर विषय सूची में पेज संख्या भी अंकित कर संलग्न करें।	विषय सूची संलग्न कर पेज संख्या अंकित कर दी गयी है।
6	लागत लाभ विशलेषण भारत सरकार के निर्देशानुसार मात्रात्मक रूप में भरकर संलग्न करें।	लागत लाभ विशलेषण मात्रात्मक रूप में Part I के बिन्दु सं० G (i) आनलाइन अपलोड कर दिया गया है। संलग्न 4- लागत लाभ विशलेषण (मूल कॉपी का पेज नं० 34-36)

7	प्रस्ताव में मक डिस्पोजल किस भूमि पर प्रस्तावित है उस भूमि के नाम का उल्लेख करें।	प्रस्ताव में मक डिस्पोजल 0.400 हे० आरक्षित भूमि, 0.050 हे० वन पंचायत भूमि एवं 0.050 हे० सिविल भूमि में प्रस्तावित कर Additional information के क्रम सं० 16 में अपलोड किया गया है। संलग्न 5— Muck disposal Scheme (मूल कापी का पेंज नं० 87-100)
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र-1 में दिनांक की सूचना एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र-2 में सभी बिन्दुओं की सूचना पूर्ण रूप से भरी जाये।	प्रपत्र 1 में दिनांक अंकित कर दी गयी एवं प्रपत्र -2 में आपके द्वारा अंकित की जानी है।
9	वन संरक्षक द्वारा भरे जाने वाला प्रपत्र-3 भी भरवाकर संलग्न करें।	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
10	प्रभागीय वनाधिकारी की S.I.R.में दिनांक की सूचना रिक्त है।	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
11	लम्बाई -चौड़ाई प्रमाण पत्र में मात्र वन पंचायत भूमि हस्तान्तरण का उल्लेख किया गया है। अतः सही सूचना भरें।	लम्बाई-चौड़ाई प्रमाण पत्र में वनपंचायत/ सिविल/ आरक्षित वन भूमि का उल्लेख Additional information के क्रम सं० 3 में अपलोड किया गया है। संलग्न 6— लम्बाई चौड़ाई प्रमाण पत्र (मूल कापी का पेंज नं० 25)
12	बांज के वृक्ष प्रभावित होने के कारण वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण आख्या संलग्न करें।	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
13	वैकल्पिक समरेखण निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में भू-वैज्ञानिक के सहमति का भी उल्लेख किया गया है, परन्तु भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। अतः सही सूचना का उल्लेख किया जाय।	वैकल्पिक समरेखण निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में भू-वैज्ञानिक के सहमति का उल्लेख त्रुटिवश अंकित कर दिया गया था। जिसे संशोधित कर Part I के बिन्दु सं० D (i) अपलोड कर दिया गया है। संलग्न 7— वैकल्पिक समरेखण निरस्त किये जाने का प्रमाण पत्र (मूल कापी का पेंज नं० 18-19)
14	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित दर के अनुसार बनाकर संलग्न करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित दर के अनुसार बनाकर Additional information के क्रम सं० 4 में अपलोड कर दिया गया है। संलग्न 8— क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना (मूल कापी का पेंज नं० 69-70)
15	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा एन०पी०वी० का आंकलन पुनः आंकलित कर संलग्न किया जाय।	एन०पी०वी० का आंकलन पुनः आंकलित कर Additional information के क्रम सं० 5 में अपलोड कर दिया गया है। संलग्न 9— एन.पी.वी. का (मूल कापी का पेंज नं० 101)
16	क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र भारत सरकार के निर्देशानुसार जी०ओ० रिफरेन्स मैप सहित .shp file में DSS से मिलान कर संलग्न किया जाय।	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है। संलग्न 10— .shp file CD

अतः अनुरोध है कि प्रपत्रों की जाँच कर प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न— उपरोक्तानुसार

भवदीय

अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो० नि० वि०
गौचर (चमोली)